भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 910
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन निर्माण क्षेत्र

910. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ड्रोन निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में ड्रोन के कुशल और प्रभावी पंजीकरण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में कृषि क्षेत्र के लिए विशेषकर प्रमाणित ड्रोन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में अपंजीकृत ड्रोनों पर नज़र रखने के लिए कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों के साथ-साथ इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि देश में प्रतिबंधित स्थानों पर ड्रोन न उड़ाए जाएँ और इन स्थानों की पहचान और वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है; और

(च) कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए उपयोग किए जा सकने वाले ड्रोनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) देश के ड्रोन विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय ने विभिन्न पहलें की हैं:-

(i) भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू की गई।

(ii) स्वदेशी ड्रोन मॉडल के प्रमाणन को सक्षम बनाने के लिए मानव रहित विमान हेतु प्रमाणन योजना 2022 की अधिसूचना।

(ख) पंजीकृत मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) की विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के सृजन की प्रक्रिया ने, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के ईजीसीए पोर्टल पर एक विश्वास आधारित स्वचालित प्रक्रिया का सृजन किया है। यह सत्यापन के लिए क्यूआर

कोड के साथ यूआईएन पंजीकरण प्रमाण पत्र तुरंत जारी करती है और ऑनलाइन सत्यापन के लिए यूआईएन को डीजीसीए की वेबसाइट पर साथ-साथ सूचीबद्ध करती है।

(ग) दिनांक 26 नवंबर 2025 तक, 94 प्रकार के प्रमाण पत्र धारकों में से 69 को कृषि के लिए डिज़ाइन किए गए यूएएस मॉडल हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) यूएएस के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए, ड्रोन नियम, 2021 के नियम 14 के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी ड्रोन पंजीकृत हों और उन्हें प्रचालन के लिए यूआईएन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, ड्रोन नियम 2021 के नियम 17 और 18 में क्रमशः स्थानांतरण और डी-रजिस्ट्रेशन से पहले यूआईएन विवरण को अनिवार्य बनाया गया है और इसे प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज करना जरूरी है। इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ रद्दीकरण या निलंबन की दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

(ड.) ड्रोन नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार, पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र को लाल क्षेत्र, पीले क्षेत्र और हरे क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ड्रोन नियम, 2021 के नियम 3 (i) के साथ पठित नियम 22 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार और संबंधित वायु यातायात नियंत्रण प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र में यूएएस का परिचालन नहीं करेगा। ड्रोन नियम 2021 के नियम 49 के तहत इसका उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है।

(च) कृषि**,** राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) व्यवसाय करने में समग्र सुगमता को बढ़ाने के लिए 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 प्रख्यापित किए गए। 26 नवंबर 2025 तक, भारतीय निर्माताओं को कृषि मानचित्रण, निरीक्षण, निगरानी और लॉजिस्टिक उद्देश्यों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 141 प्रकार के प्रमाणपत्र दिए जा चुके हैं।

(ii) संशोधित ड्रोन नियम 2021 में आरपीसी के साथ-साथ ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और डी-रजिस्ट्रेशन/स्थानांतरण के लिए पासपोर्ट की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(iii) हरे क्षेत्रों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पीले क्षेत्र में ड्रोन के परिचालन के लिए संबंधित वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) की अनुमति आवश्यक है। लाल क्षेत्र में ड्रोन के परिचालन के लिए नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित लाल क्षेत्र के स्वामियों की अनुमति आवश्यक होगी।

(iv) ड्रोन के लिए एक वैश्विक प्रमाणन और प्रत्यायन ढांचा स्थापित करने के लिए मानव रहित विमान हेतु प्रमाणन योजना 2022 प्रकाशित की गई, जो उचित सुरक्षा उपायों के साथ, विभिन्न ड्रोन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का माप करेगी।

(v) भारतीय हवाई क्षेत्र के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र का हरा क्षेत्र बनाकर ड्रोन परिचालन के लिए खोला गया था जहां बिना किसी अनुमति के परिचालन किया जा सकता था।

(vi) दिनांक 26 नवंबर, 2025 तक, कुल 37,298 ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 35,448 रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) जारी किए गए हैं। इसके अलावा, डीजीसीए ने 226 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों को मंजूरी दी है।

******